तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
12.12.19	पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा. का. अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के स्वामित्व व खातेदारी अधिकारों की संयुक्त आराजी संख्या 2347 रकबा 02बीघा 15बिस्वा भूमि ग्राम पीथास परवार हल्का पीथास तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा मे स्थित है उपरोक्त खातेदारी आराजियात मे आने-जाने हेतु ट्रेक्टर, संज, बैल व पैदल आने जाने एवम फसल एकत्रित करने हेतु रास्ता अमरगढ़ से मण्डपिया मुख्य सड़क जिसके आराजी नं. 2382 है से होते हुए आराजी नं. 2381 की उत्तरी दिशा से होते हुए आराजी संख्या 2380 की उत्तरी दिशा से 16फिट रास्ता विपक्षीगण की आराजियात मे से प्रार्थीगण अपनी आराजियात मे आते जाते है। आराजी नम्बर 2381 विपक्षी सं. 1 के नाम पर व आराजी नम्बर 2380 विपक्षी सं. 1 लगायत 5 के नाम पर अंकित है। उक्त आराजियात मे 16फीट का रास्ता है जो अत्यन्त आवश्यकता का होकर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी मौजूद नही है विपक्षी सं. 1 से लगायत 5 की नियत मे फितुर आने से आये दिन रास्ते मे अवरोध उत्पन्न करते है। व बंद करने पर आमादा है इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगन की आराजी संख्या 2347 मे आवागमन कृषियंत्र व कृषि उपज लाने ले जाने हेतु आराजी सं. 2381 व 2380 की उत्तरी दिशा की मेड़ पर 16 फीट चौड़ाई के रास्ते को रास्ते के रूप मे कायम करा रास्ता खुलासा कर उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड व नक्शे मे दर्ज कर अलग खाता कायम किये जाने का आदेश प्रदान करावे। इस हेतु प्रार्थीगण राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान करने हेतु तैयार है। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस मे प्रार्थनापत्र के तथ्यो को दोहराते हुए आराजी सं. 2347 रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा मे आने जाने हेतु अत्यन्त आवश्यकता के रूप मे 2380 व 2381 मे से 16फीट रास्ते [illegible] हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही होने से [illegible] किये जाने का निवेदन किया। तथा [illegible] का बिन्दुवार खंडन करते हुए बहस [illegible] ने पीठासीन अधि[illegible] व तहसीलदार मांडल द्वारा प्रस्तुत [illegible] की तरफ न्यायालय का ध्यान दिलाते हुए प्रस्तावित रास्ते को दर्ज करने हेतु निवेदन किया।	

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.01.25 12:17:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

विपक्षी अधिवक्ता ने बहस मे प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुए उपरोक्त प्रार्थना पत्र नाजायज रूप से नुकसान पहुंचाने का कथन करते हुए जवाब के तथ्यो को दोहराया और प्रार्थीगन के प्रार्थना पत्र को खारीज करने की इस्तदुआ की।

उभयपक्षो की बहस व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र मे वर्णित आराजी संख्या 2347 के संबध मे दिनांक 11.11.19 को भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौका देखा गया। जिसकी रिपोर्ट दिनांक 15.11.19 द्वारा तहसीलदार मांडल द्वारा पेश की। जिसकी रिपोर्ट पत्रावली पर संग्रहीत है। तत्पश्चात विपक्षी के द्वारा न्यायालय मे आक्षेप किये जाने के कारण न्यायालय स्वंय के द्वारा दिनांक 25.11.19 को पीठासीन अधिकारी की उपस्थिति मे मौका देखा गया। उपरोक्त दोनो रिपोर्टो का पीठासीन अधिकारी का मौके पर अवलोकन करने से यह जाहिर आया है कि आराजी संख्या 2381 मे वर्तमान मे प्रचलित रास्ता है जो निरंतर अनवरत बिना व्यवधान के चालु हो कर काम मे लिया जा रहा है आगे आराजी सं. 2347 मे पहुंचने के लिये आराजी संख्या 2380 मे से 01 बिस्वा रास्ता नियमानुसार प्रार्थीगन की आराजी मे पहुंच के लिये न्युनतम मार्ग होगा।

विपक्षी द्वारा सुझाये गये रास्ते के आलामात न तो मौके पर है नही। इस प्रकार का रास्ता दर्ज किया जाना नियमानुसार वांछित ही है। इस कारण उपरोक्त समस्त तथ्यो का नियमावली मे आ जाने के कारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आराजी नं. 2381 मे स्थित प्रचलित रास्ते को विधिक नियमानुसार राजस्व रिकार्ड व नक्शे मे दर्ज किया जावे व आराजी संख्या 2380 मे से रकबा 01 बिस्वा जो कि लम्बाई मे 50 फुट व चौडाई मे 12 फीट का है का भुगतान नियमानुसार मुवाअजे के रूप मे अप्रार्थी को दिलाया जाना न्यायोचित व विधिसम्मत है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगन का प्रार्थना पत्र को प्रार्थीगण सिद्ध कराने मे सफल ~~किया~~ कराने मे सफल रहे है। अतः प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित [illegible] है अतः

आदेश

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.01.25 12:17:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

नम्बर व
अहकाम
हुक्म की
में जा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 251-A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की संयुक्त स्वामित्व की ग्राम पिथासा परवार हल्का पियासा तहसील मांडल की आराजी संख्या 2347 मे रकबा 02 बीघा 15 बिस्वा भूमि मे आने जाने व काश्त हेतु विपक्षीगण की आराजी नं. 2381 मे प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकार्ड व नक्शे मे दर्ज किये जाने का आदेश तहसीलदार मांडल को दिया जाता है साथ ही आराजी संख्या 2380 मे रकबा 01 बिस्वा भूमि का 12 फीट चौड़ाई का रास्ता प्रार्थीगण द्वारा वर्तमान मे D.L.C दर की दुगनी राशि का भुगतान विपक्षीगण को दिया जाने का आदेश दिया जाता है तथा उसी अनुसार तहसीलदार मांडल राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद करे। साथ ही संबंधित रास्ते की भूमि विपक्षीगण की आराजी सं. 2380 व 2381 से कम किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे किस्म रास्ते के रूप मे बिलानाम दर्ज की जावे। 01 बिस्वा भूमि का वर्तमान D.L.C. दर की दुगनी राशि प्राप्त कर आराजी संख्या 2380 के खातेदारन विपक्षी सं. 1 लगायत 5 को प्रार्थीगन से प्राप्त कर दिलवाई जावे। विपक्षियो द्वारा राशि प्राप्त नही करने की सूरत मे राशी राजकोष मे जमा करे। नियमानुसार अपीलअवधि के पश्चात तहसीलदार मांडल द्वारा निर्णय की पालना की जावे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार मांडल को निर्णय की प्रति भिजवाते हुए लिखा जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.01.25 12:17:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner